



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०  
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)  
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 611/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-116-मा०सं०(04)/2002(टी०सी०)

दिनांक ३ जून, 2011

### कार्यालय ज्ञाप

यात्रा भत्ता पुनरीक्षण विषयक आदेश संख्या: 448/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-116-मा०सं० (04)/2002 (टी०सी०) दिनांक 03.05.2011 द्वारा अनुमन्य वायुयान से यात्रा के सम्बन्ध में, कार्यालय ज्ञाप संख्या: 589/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-116-मा०सं०(04)/2002(टी०सी०) दिनांक 26.05.2011 द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के प्रतिबन्ध को पुनर्विचारोपरान्त, निरस्त करते हुए एतद्द्वारा निम्न आदेश किये जाते हैं:-

1. यथा सम्भव रेल यात्रा की जाय।
2. यथा सम्भव पूर्ण किराया वाले एअरलाइन्स (Full Fare Airlines) के स्थान पर निम्नतर किराया वाले एअरलाइन्स (Low Cost Airlines) से ही यात्रा की जाय।
3. वायुयान यात्रा पर यदि एक दिन में कार्य सम्पन्न हो जाय तो यात्रा का कार्यक्रम इस तरह निर्धारित किया जाय कि होटल का उपयोग न करके उसी दिन वापसी यात्रा प्रारम्भ कर दी जाय।
4. परियोजना अतिथि गृहों पर रूकने पर सम्बन्धित कार्मिक को ग्राह्य दैनिक भत्ते का 25 प्रतिशत निगमीय कार्यो पर तथा 75 प्रतिशत अन्य निजी कार्यो हेतु किराये के रूप में देना होगा।
5. कार्यालय ज्ञाप संख्या: 448/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2011-116-मा०सं०(04)/2002(टी०सी०) दिनांक 03.05.2011 के संलग्नक के प्रस्तर-3(ख) में उल्लिखित प्रदेश से बाहर यात्रा पर दैनिक भत्ते की दरें संलग्नकानुसार अनुमन्य होंगी।

### अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 611 (1) मा०सं० (04)/उ०नि०लि०/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक/महा प्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा०सं०/वित्त/लेखा / पी०पी०एम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।
4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
6. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि० (मा०सं०-01/02/03/04/05/06)/(चिकित्सा/औ०सं०/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, लखनऊ ।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), कक्ष सं० 906, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ को निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. कट फाइल।

आज्ञा से,

(एम०डी० मिश्र)

अनुसचिव (मा०सं०-04)

Grade Pay	Daily Allowance
Officers drawing grade pay of Rs. 10,000/- and above and those in pay scales of HAG+ and above	Reimbursement for Hotel accommodation / guest house of up-to Rs. 5000, per day; reimbursement of AC taxi charges of up-to 50 kms. For travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 500 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 7600 to Rs. 8900	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 3000, per day; reimbursement of non-AC taxi charges of up-to 50 kms. per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 300 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 5400 to Rs. 6600	Reimbursement for Hotel accommodation of up - to Rs. 1500 per day; reimbursement of taxi charges of up-to Rs. 150 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 200 per day.
Officers drawing grade pay of Rs. 4200 to 4800.	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 500 per day; reimbursement of travel charges of up-to Rs. 100 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 150 per day.
Officers drawing grade pay of below Rs. 4200.	Reimbursement for Hotel accommodation of up-to Rs. 300 per day; reimbursement of travel charges of up-to Rs. 50 per diem for travel within the city and reimbursement of food bills not exceeding Rs. 100 per day.

phms